विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2016

फा. क्र. 17(ई)-35-2010-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, सोलहवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल में विधि सलाहकार के पद पर, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2016

फा. क्र. 3(ए)6-2016-इक्कीस-ब (एक)-2988.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्द्वारा, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5(1)(ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:—

1. श्री कृष्ण दास मेहर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालाघाट.
2. श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहडोल.
3. कु. सरिता बाधवानी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2016

क्र. एफ-5-35-2009-उन्तीस-2.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई 2010 द्वारा श्रीमती संगीता भंडावत को जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्य मनोनीत किया गया था. श्रीमती संगीता भंडावत, ने व्यक्तिगत, कारणों से दिनांक 1 दिसम्बर 2015 को त्यागपत्र प्रेषित कर स्वीकृत करने का अनुरोध किया है.

2. अत:, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती संगीता भंडावत, सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम शाजापुर, मध्यप्रदेश के अशासकीय सदस्य के पद से दिया गया त्यागपत्र दिनांक 1 दिसम्बर 2015 से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्र. एफ 16-09-2015-बी-ग्यारह.—राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वृहद औद्योगिक इकाईयों को अविकसित भूमि आवंटन प्रक्रिया तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के लिये अतिरिक्त समयावधि प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिकाओं में निम्नानुसार संशोधन किया जावे:—

1. कंडिका 8 (ii) में ''उद्योग आयुक्त'' के स्थान पर ''प्रबंध संचालक'' एमपी ट्राईफेक प्रतिस्थापित किया जाता है.
2. कंडिका 11 (i) में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

   अविकसित भूमि हेतु वृहद औद्योगिक इकाई संबंधित प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/ आईआईडीसी, ग्वालियर में एमपी ट्रायफेक की वेबसाईट पर अपलोड या निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन एवं चेकलिस्ट अनुसार अन्य अभिलेख, आवेदन शुल्क की राशि रुपये 10.000 जमा करेगा. संबंधित प्रबंध संचालक, एकेव्हीएन/ आईआईडीसी, ग्वालियर आवेदन का परीक्षण, आवेदित भूमि की मात्रा, प्रचलित प्रब्याजी का 25 प्रतिशत अग्रिम राशि जमा कराकर भूमि की मात्रा की गणना कर अनुशंसा सहित प्रबंध संचालक, एमपी ट्राईफेक को अग्रेषित करेगा.

3. कंडिका 12 (i) में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

   अविकसित औद्योगिक भूमि हेतु आवेदनों का निराकरण समयक तथ्यों के आधार पर होगा. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पश्चात् आवंटन आदेश जारी करने की स्वीकृति प्रबंध सचालक, एमपी ट्राईफेक द्वारा दी जावेगी. प्रबंध संचालक, एमपी

ट्राईफेक की स्वीकृति पश्चात् आशय पत्र, आवंटन आदेश एवं लीज डीड के निष्पादन हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की ओर से संबंधित प्रबंध संचालक, एकेव्हीएन/ आईआईडीसी, ग्वालियर द्वारा किया जावेगा.

4. कंडिका 15 (ii) में ''उद्योग आयुक्त'' के स्थान पर ''प्रबंध संचालक'' एमपी ट्राईफेक प्रतिस्थापित किया जाता है.

5. कंडिका 41 (ii) 1 में ''उद्योग आयुक्त'' के स्थान पर ''प्रबंध संचालक'' एमपी ट्राईफेक प्रतिस्थापित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2016

क्र. 1967-2217-2016-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड का नाम और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रायसेन	रायसेन	कु. रेणू खेस, II CJ-II-& JMFC
2	नीमच	नीमच	श्री पंकज श्रीवास्तव, IV CJ-I-& JMFC

No. 1967-2217-2016-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Raisen	Raisen	Ku. Renu Khes, II CJ-II & JMFC
2	Neemuch	Neemuch	Shri Pankaj Shrivastava, IV CJ-I & JMFC.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.